

प्रेस विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने पुलिस लाइन आजमगढ़ सभागार में किया “वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट गैलरी” का उद्घाटन ।

➡उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाये गये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान के अंतर्गत गैलरी का उद्घाटन प्रदेश में सर्वप्रथम आज दिनांक- 10.06.2024 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा पुलिस लाइन स्थित आजमगढ़ सभागार में किया गया ।

➡जनपद आजमगढ़ के सभागार में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट गैलरी का कार्य अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आजमगढ़ चिराग जैन के नेतृत्व में जिला उद्योग केन्द्र के उपायुक्त एस.एस.रावत के सहयोग से कारीगर लालमन व अबुशहाद द्वारा पूर्ण कराया गया ।

➡ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के दृष्टिगत प्रदेश के 26 जनपदों का प्रोडक्ट जनपद आजमगढ़ के पुलिस लाइन स्थित सभागार में किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है ।

- 1.आजमगढ़ – काली मिट्टी के बर्तन, रेशमी साड़ी
2. अलीगढ़ – ताला
3. भदोही – कालीन
4. बुलन्दशहर –सिरामिक
5. एटा – घंटी
6. हमीरपुर – जूती
7. जौनपुर – उनी दरी
8. कुशीनगर – केला रेशा उत्पाद
9. पीलीभीत – बासुरी
10. संतकबीर नगर – टेक्सटाइल
11. गोरखपुर – टेरा कोटा, कलश
12. बिजनौर – कास्ट कला
13. वाराणसी – बनारसी सड़ी
14. गाजीपुर – जूट वाल हैंगिंग
15. लखनऊ – चिकनकरी
16. चंदौली – जरी-जरदोजी
17. फिरोजाबाद – काँच उत्पाद
18. बहराईच – गेहँ डण्ठल उत्पाद
19. मैनपुरा – तारकशी
20. प्रयागराज – मूँज उत्पाद
21. कानपुर देहात – एल्युमीनियम बर्तन उत्पाद
22. मेरठ – खेल सामग्री
23. झाँसी – साफ्ट ट्वायज
24. मुरादाबाद – धातु शिल्प
25. चित्रकूट – लकड़ी का खिलौना
26. सोनभद्र - कालीन

➡वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ के निजामाबाद की काली मिट्टी के बर्तन व मुबारकपुर की रेशमी साड़ी को दर्जा दिया गया ।

थाना अतरौलिया

चोरी करने अन्तर्जनपदीय गैंग के 02 सदस्य गिरफ्तार; चोरी की 02 मोटर साइकिल, व जनरेटर बरामद

पूर्व की घटना- दिनांक 29.04.2024 को वादी मुकदमा सन्तोष शर्मा पुत्र शंकर शर्मा निवासी पेडरा पो0 बढ़या थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया था कि दिनांक 28.04.2024 को अपनी बाइक (नं0 H.F डिलेक्स U.P 50 V 1131) को बढ़या बाजार स्थित अपनी दुकान के सामने खड़ी कर आवश्यक सामान लेने बाजार चला गया वापस आकर देखा तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने वादी की बाइक चोरी कर लिया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 147/24 धारा 379 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 जफर अयूब प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 10.06.2024 को उ0नि0 जफर अयूब, उ0नि0 अजय कुमार सिंह मय हमराह ग्राम गोपालीपट्टी तिराहा नहर की पुलिया पर संदिग्ध वाहन व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान मुखबीर ने सूचना दिया कि दो व्यक्ति चोरी की दो मोटर साइकिल को बेचने के लिये चैनपुर (जनपद अम्बेडकर नगर) से आ रहे हैं, जो एदिलपुर पुलिया होते हुए गुजरने वाले हैं। इस सूचना पर उ0नि0 जफर अयूब, उ0नि0 अजय कुमार सिंह मय हमराह एदिलपुर पुलिया पहुंचे जहां से 02 मोटर साइकिल सहित 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त 1-राजन पाण्डेय पुत्र रामदत्त पाण्डेय नि0 बिछैला थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकर नगर उम्र 23 वर्ष के पास से मोटर साइकिल (UP50 AK2953 एचएफ डीलक्स लाल व काला रंग) तथा अभियुक्त 2-आदर्श मिश्रा पुत्र प्रमोद उर्फ जटाशंकर मिश्रा निवासी उधौपट्टी थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकर नगर उम्र 20 वर्ष के पास से मोटर साइकिल (UP45X2241 सुपर स्पेलेण्डर काला रंग) बरामद हुआ।

➔ अभियुक्त राजन पाण्डेय की निशानदेही पर ग्राम आशापार थाना जैतपुर अम्बेडकर नगर से चोरी का 01 जनरेटर बरामद किया गया। अभियुक्तगण को उनके अपराध का बोध कराते हुए समय करीब 03.55 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि उनका एक गिरोह है। जिसके सदस्य मिलकर आजमगढ़ और आस-पास के जनपदों में चोरी की घटनाएं करते हैं। दिनांक 28.05.2024 को 1- राजन पाण्डेय पुत्र रामदत्त पाण्डेय निवासी बिछैला थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकर नगर उम्र 23 वर्ष व 2- आदित्य शुक्ला पुत्र विनोद शुक्ला निवासी गोपालपुर थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकर नगर ने मिलकर बढ़या बाजार से 01 मोटर साइकिल चोरी किया था तथा जनपद जौनपुर से 01 मोटर साइकिल चोरी किये थे तथा 01 जनरेटर जनपद अम्बेडकर नगर से चोरी किये थे।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 147/24 धारा 379, बढोत्तरी धारा- 411/414/473 भादवि0 थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राजन पाण्डेय पुत्र रामदत्त पाण्डेय निवासी बिछैला थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकर नगर।
2. आदर्श मिश्रा पुत्र प्रमोद उर्फ जटाशंकर मिश्रा निवासी ऊधौपट्टी थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकर नगर।

आपराधिक इतिहास-

राजन पाण्डेय पुत्र रामदत्त पाण्डेय निवासी बिछैला थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकर नगर

1. मु0अ0सं0- 147/24 धारा 379/411/414/473 भादवि 0 थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0- 98/24 धारा 379 भादवि0 थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकर नगर
3. मु0अ0सं0- 282/24 धारा 379 भादवि 0 थाना लाइन बाजार जनपद जौनपुर

आदर्श मिश्रा पुत्र प्रमोद उर्फ जटाशंकर मिश्रा निवासी ऊधौपट्टी थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकर नगर

1. मु0अ0सं0- 147/24 धारा 379/411/414/473 भादवि 0 थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

बरामदगी- 02 मोटर साइकिल (सुपर स्पेलेण्डर UP62BH5910 व एचएफ डीलक्स UP 45 AV1131) व 01 जनरेटर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 जफर अयूब, उ0नि0 अजय कुमार सिंह, का0 सुमन प्रभात, का0 मो0 रिजवान, हे0का0 गोविन्द मौर्या, का0 दीपक कुमार, का0 मुकेश गुप्ता, का0 जयराय थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

थाना कन्धरापुर

अपहरण करने वाले अभियुक्त का सहयोगी गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 09.04.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि अभियुक्त अशोक कारुष ने वादी की बहन को बहला फुसालकर भगा ले गया, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 100/2024 धारा 366 भादवि0 बनाम अशोक कारुष पुत्र गोविन्द कारुष ग्रा0 दुबहरन खुर्द थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 अमित कुमार पाल द्वारा की जा रही है।

➡ दौरान विवेचना प्रकाश में आया कि वादी की बहन को अभियुक्त 1-अशोक कारुष अपने साथियो 2-गोविन्द राम पुत्र लालमन, 3-रेनू पत्नी गोविन्द राम व 4-अमित कारुष पुत्र गोविन्द राम समस्त निवासी दुबहरनखुर्द थाना कन्धरापुर द्वारा षडयन्त्र करके अपहरण कर लिया। जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 368/34/120बी भादवि0 की बढोत्तरी की गई।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक- 10.06.2024 को उ0नि0 अमित कुमार पाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त अमित कारुष पुत्र गोविन्द राम निवासी दुबहरनखुर्द थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ को सेहदा अन्डर पास से समय करीब 08.10 बजे गिरफ्तार चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- अमित कारुष पुत्र गोविन्द राम निवासी दुबहरनखुर्द थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 100/2024 धारा -120बी/363/366/368/34 भादवि0 थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 अमित कुमार पाल, का0 आकाश गौड़ थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

थाना सरायमीर

मारपीट करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 09.06.2024 को वादी मुकदमा इमरान अहमद पुत्र अब्दुल खालिक ग्राम आषाढा थाना सरायमीर आजमगढ़ उम्र करीब 60 वर्ष द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि शाम के समय वादी अपने बच्चे के साथ खेत की मेड बंध रहा था। तभी गांव के ही 1-जोरार व 2-खालिद पुत्र इरफान व 3-अब्दुल जब्बार पुत्र अबरार ग्राम महमूदपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ आकर गाली गलौज कर मारापीटा जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 315/24 धारा 323/504/506 भादवि0 व 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 09.06.2024 को वादी मुकदमा द्वारा स्वयं से मारपीट करने वाले अभियुक्त जोरार अहमद पुत्र इरफान निवासी असाढा थाना सरायमीर आजमगढ़ को 01 कट्टा व 01 कारतूस के साथ थाने पर लाकर समय करीब 23:47 बजे सुपूर्द किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- जोरार अहमद पुत्र इरफान निवासी असाढा थाना सरायमीर आजमगढ़।

पंजीकृत अभियुक्त- मु0अ0सं0- 315/24 धारा 323/504/506 भादवि0 व 3/25 शस्त्र अधि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी- 01 कट्टा .303 बोर, 01 जिन्दा कारतूस.303 बोर

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 315/2024 धारा 323/504/506 भादवि व 3/25 शस्त्र अधि0 ना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 देवचरन सिंह, का0 चन्दन कुमार थाना सरायमीर आजमगढ़।

थाना- बरदह

हत्या का प्रयास करने का अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 09.06.2024 को वादी मुकदमा सुरेश सरोज पुत्र स्व0 सतिराम (उर्फ गदर) ग्राम जैतीपुर थाना-बरदह जनपद- आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि वादी के भाई ने बटवारे के विवाद को लेकर वादी को मारापीटा जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 193/24 धारा 323/504/506/307 भादवि बनाम पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 10.06.2024 को उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी मय हमराह द्वारा मुखबीर की सूचना पर अभियुक्त रमेश उर्फ करन पुत्र स्व0 सतिराम ग्राम जैतीपुर थाना-बरदह जनपद आजमगढ़ को जैतीपुर मोड़ (आजमगढ़-जौनपुर मुख्य मार्ग) से समय 08.53 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- रमेश उर्फ करन पुत्र स्व0 सतिराम ग्राम जैतीपुर थाना-बरदह जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 193/24 धारा 323/504/506/307 भादवि0 थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

बरामदगी- 01 चाकू बरामद।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम- उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी, का0 पंकज यादव, का0 सत्येन्द्र गुप्ता थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

थाना- कोतवाली
जानलेवा हमला करने वाला हिस्ट्रीशीटर अपराधी गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 26.05.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि दिनांक 24.05.2025 को वादिनी चुनाव ड्यूटी में गई थी उसके दोनो बच्चे बैष्णवी मिश्रा व माधव मिश्रा घर पर अकेले थे। दिनांक 24.05.2024 की रात्रि में पीयूष उपाध्याय S/O जगदीश उपाध्याय निवासी हरैया थाना कोतवाली आजमगढ़ कूदकर वादिनी के छत पर चढ़ गया तथा वादिनी के बच्चो को जान से मारने की नियत से असलहे से गोली चलाया और भद्दी भद्दी गाली एवं जान से मारने की धमकी देते हुए बाउन्डरी कूदकर भाग गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 322/24 धारा 307/452/504/506 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 09.06.2024 को उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त पीयूष उपाध्याय पुत्र जगदीश उपाध्याय ग्राम हरैया थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 29 वर्ष को हरैया पुलिस से समय करीब 21:30 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 01 कट्टा व 05 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- पीयूष उपाध्याय पुत्र जगदीश उपाध्याय ग्राम हरैया थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 29 वर्ष। (HS No. 5B)

बरामदगी- 01 कट्टा व 05 जिन्दा कारतूस 315 बोर

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 351/24 धारा 3 /25 शस्त्र अधि. थाना कोतवाली आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

क्र.सं.	मु.सं.अ.	धारा	थाना	जनपद
1	953/13	143/188/332/336/427/435/504 बादवि	कोतवाली	आजमगढ़
2	412/15	308/325/504/506 भादवि	कोतवाली	आजमगढ़
3	177/16	147/323/325/504/506 भादवि	कोतवाली	आजमगढ़
4	84/19	8/2 एनडीपीएस एक्ट	कोतवाली	आजमगढ़
5	311/22	323/379/411/452/504/506 भादवि	कोतवाली	आजमगढ़
6	528/22	323/504/506 भादवि व 3(1) द/3(1)ध एससीएसटी एक्ट थाना / कोतवालीआजमगढ़	कोतवाली	आजमगढ़
7	02/22	504/507 भादवि	कोतवाली	आजमगढ़
8	150/22	323/504/506 भादवि	कोतवाली	आजमगढ़
9	217/22	3/25 आर्म्स एक्ट	कोतवाली	आजमगढ़
10	680/23	386 भादवि व आर्म्स एक्ट 30	कोतवाली	आजमगढ़
11	731/24	3/25 आर्म्स एक्ट	कोतवाली	आजमगढ़
12	322/24	307/452/504/ 0भादवि 506	कोतवाली	आजमगढ़
13	351/24	3/ 25 शस्त्र अधि.	कोतवाली	आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव , हे0कां0 महेन्द्र यादव, कां0 अखिलेश यादव, कां0 रोहित कुमार वर्मा, कां0 कृपाशंकर थाना कोतवाली आजमगढ़ थाना कोतवाली आजमगढ़।

थाना- पवई
किशोरी को भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 09.06.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि दिनांक 07.06.2024 को वादिनी की नातिन को अभियुक्त शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 213/24 धारा 363,366 भादवि0 बनाम अनुज कुमार पुत्र रामसिजोर ग्राम नन्देसर थाना पवई आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 10.06.2024 को उ0नि0 अमित कुमार मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अनुज कुमार पुत्र रामसिजोर ग्राम नन्देसर थाना पवई आजमगढ़ को पवई ब्लाक के सामने से समय करीब 08:20 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- अनुज कुमार पुत्र रामसिजोर ग्राम नन्देसर थाना पवई आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 213/2024 धारा 363/366 भादवि0 थाना पवई जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 अमित कुमार मिश्रा, कां0 लोकेश प्रताप सिंह, कां0 बसन्त कुमार, म0कां0 पूजा पाण्डेय थाना पवई जनपद आजमगढ़।